Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **अतिरिक्त जिला कलक्टर** मुकाम **जोधपुर (ग्रामीण)**

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थीगण**
गोपाराम पुत्र चैनाराम, जाति मेघवाल, निवासी फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर वगैरा।		कोयली पुत्री कालिया उर्फ कालूराम, पत्नी स्व0 बाबूलाल, जाति सरगरा, निवासी लोलडी, तहसील व जिला जोधपुर वगैरा।

किस्म मुकदमा **राजस्व अपील** नं. 383 सन् **2023**

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व इस हुक्म तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
16.10.2023	राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त 2023 की अनुपालना में जिला जोधपुर (ग्रामीण) का नवगठन होने तथा न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) के आदेश क्रमांक/डी.एम./रीडर/2023/01 दिनांक 05.09.2023 की अनुपालना में प्रकरण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से प्रकरण सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 02.01.2024 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)	
2/1/24	पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान P.O. महो. आज व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 29-1-24 को पेश हों।	
15/01/24	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अधिवक्ता ने प्रा० पत्र बाबत मिसल तलब कर सुनवाई करने का पेश करने पर पेशीपर ली गई। अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत विड्रो करने अपील पेश कर बतलाया कि अपीलार्थीपक्ष अपील को आगे चलाना नहीं चाहते है। [illegible] जरिये विड्रो किया जाना न्यायोचित है। हमने पत्रावली का अवलोकन [illegible] अपीलार्थीपक्ष का प्रा० पत्र स्वीकार किया [illegible] अपील [illegible] विड्रो खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड आदेश के साथ भिजवाये जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:29:23 IST
Reason: SelfAttested